D:\ADN\All Letter 2015.docx122

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक–एफ.3(88)पोषा/राज्य/जिला स्तरीय समितियां/मबावि/2001–02 54581-613 जयपुर, दिनांक: 18-6-15

जिला कलेक्टर
समस्त।

विषयः–समितियों की बैठक निर्धारित समय पर आयोजित कराने बाबत।

समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रबोधन, पर्यवेक्षण तथा विभिन्न विभागों में समन्वय एवं अभिसरण हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश क्रमांक एफ.6(34)प्र.सु./अनु–3/2013 दिनांक 19.09.2013 द्वारा राज्य/जिला/ब्लॉक/आंगनबाडी स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समितियों का गठन किया गया है (छाया प्रति संलग्न)।

विभागीय आदेश क्रमांक 70826–892 दिनांक 21.08.2014 द्वारा लाभान्वितों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर.टी.ई. पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश जारी किये गये है। विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु योजना की प्रभावी मोनेटरिंग एवं पर्यवेक्षण किये जाने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 19.09.2013 द्वारा गठित समितियों की निर्धारित अवधि में बैठके नियमित रूप से आयोजित किया जाकर लाभान्वितों को विभागीय निर्देशानुसार गुणवत्ता पूर्ण पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावें। किसी भी स्थिति में आंगनबाडी केन्द्र पोषाहार के अभाव में ड्राई नहीं होने चाहिए।

संलग्नः–उक्तानुसार।

(राकेश श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान, जयपुर

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in

D:\ADN\All Letter 2015.docx123

क्रमांक–एफ.3(88)पोषा/राज्य/जिला स्तरीय समितियां/मबावि/2001–02 54614-55613 जयपुर, दिनांक: 18.6.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
4. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
5. उप खण्ड अधिकारी, समस्त।
6. ब्लॉक विकास अधिकारी, समस्त।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
8. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
9. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.एस.मीना)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग

कमांक एफ 6(34)प्र.सु./अनु. 3/2013 जयपुर, दिनांक 19-09-2013

आदेश

भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ताओं में सुधार, प्रबोधन और पर्यवेक्षण तथा विभिन्न विभागों मे समन्वय एवं अभिसरण (coordination & convergence) की दृष्टि से निम्न प्रकार से समितियों के गठन हेतु राज्यपाल महो. की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है :–

I समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति
II समेकित बाल विकास सेवाऐं हेतु जिला स्तरीय निगरानी तथा समीक्षा समिति
III समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति
IV समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु आंगनबाडी स्तरीय निगरानी व सहायता समिति

उपरोक्त समितियों की संरचना एवं भूमिका निम्न प्रकार होगी:–

I समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति (SLMRC on ICDS)

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति का गठन किया जाता है। जिसमें निम्न सदस्य होगें:–

1. पांच माननीय सांसद*	सदस्यगण
2. पांच माननीय विधायक, विधानसभा सदस्य *	सदस्यगण
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	सदस्य
4. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना	सदस्य
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त	सदस्य
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण	सदस्य
7. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं भू–जल एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन	सदस्य
8. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा	सदस्य
9. प्रमुख शासन सचिव, कृषि	सदस्य
10. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	सदस्य

11.	प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास	सदस्य सचिव
12.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	सदस्य
13.	क्षेत्रीय निदेशक, एनआईपीसीसीडी (NIPCCD)	सदस्य
14.	प्रतिनिधि, राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण बोर्ड, राज. कार्यालय	सदस्य
15.	प्रधानाचार्य, मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (MLTC)**	सदस्य
16.	प्रधानाचार्य आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (AWTC)**	सदस्य
17.	निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ	सदस्य

* राज्य के सांसद तथा विधायकगण समिति में एक वर्ष हेतु रोटेशनल आधार पर सदस्य होगें तथा उनका मनोनयन इस प्रकार किया जायेगा कि कई दलों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इनका मनोनयन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा।

** इनका मनोनयन प्रति वर्ष रोटेशनल आधार पर निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा किया जाएगा।

नोटः–

- राज्य में समेकित बाल विकास सेवाओं में कार्यरत विशेषज्ञ/अन्य संस्थान तथा विकास सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को, विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।
- समिति प्रत्येक छः माह में अथवा उससे पूर्व आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के नोटिस पर बैठक करेगी। यद्यपि मुख्य सचिव छः माह में एक बार बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

समिति की भूमिका

समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति निम्न मुद्दों की निगरानी और समीक्षा करेगी तथा आवश्यक उपायों की अनुशंषा करेगी।

i. निम्न मामलों में प्रगति की समीक्षाः–

- समेकित बाल विकास सेवाओं का सर्वव्यापीकरण–स्वीकृत व संचालित प्रोजेक्ट/आंगनबाडी केन्द्रों की स्थिति, राज्य में सभी आबादी क्षेत्रों/कस्बों में कवरेज तथा उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं।
- समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य का वार्षिक योजना क्रियान्विति कार्यक्रम (APIP) तैयार करना तथा उसे लागू कराना।
- **6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण स्तर की स्थिति** – वजन लेना, नये डब्ल्यूएचओ वृद्धि मानक तथा संयुक्त मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड को लागु करना, मध्यम तथा गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों की जिलेवार समीक्षा; इस पर उठाये गये कदमों तथा प्रगति की अर्द्धवार्षिक समीक्षा।
- **आंगनबाडी केन्द्रों पर अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा की समीक्षा**–केन्द्रों पर बच्चों को दी जाने वाली अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा की कार्यप्रणाली व

भागीदारी; स्थानीय स्तर पर तैयार शैक्षणिक तथा खेल सामग्री, खिलौना बैंक तथा अन्य पहल।

- समेकित बाल विकास सेवाओं में कमजोर प्रदर्शन वाले जिले तथा उसके लिए जिम्मेदार कारक।

ii. लाईन विभागों/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण

a **स्वास्थ्य/एनआरएचएमः** आंगनबाडी केन्द्रों पर पूर्ण टीकाकरण की स्थिति, प्रसव पूर्व जांच तथा स्वास्थ्य जांच का प्रावधान, केन्द्र पर रैफरल सेवाएँ तथा सूक्ष्म पोषण तत्वों की आपूर्ति (विटामिन A, IFA, डिवार्मिंग टैबलेट), MCHN दिवस की गतिविधियां, ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति तथा शिशु एवं बच्चों की आहार पूर्ति (Infant & Yound Child Feeding IYCF) को प्रोत्साहन।

b **जल तथा स्वच्छताः** सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से केन्द्रों पर पेयजल की उपलब्धता तथा शौचालय सुविधा।

c **सर्व शिक्षा अभियान (SSA)**: प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनबाडी केन्द्र की सह स्थिति, स्कूल पूर्व शिक्षा का केन्द्रों पर एकीकरण; SSA से सहयोग आदि;

d **पंचायतीराज संस्थान;** पंचायतीराज संस्थानों तथा समुदाय की निगरानी में भागीदारी तथा केन्द्रों पर सेवा प्रदान करने में समन्वय।

iii सर्वे की गई जनसंख्या की तुलना में सामान्य तथा विशेष रूप से अनु.जाति/अनु. जनजाति/अल्पसंख्यक आबादी क्षेत्रों में कवरेज।

iv कार्यक्रम लागु करने हेतु अन्य मुद्दे तथा उन पर उठाये गये कदम निम्न सन्दर्भ में

a केन्द्रों का नियमित संचालनः– समग्र रूप से तथा विशेष तौर पर अनु.जाति/अनु. जनजाति अल्पसंख्यक बाहुल्य आबादी क्षेत्रों में

b कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी स्तर पर पद रिक्तता की स्थिति तथा प्रशिक्षण स्थिति।

c फण्ड उपलब्धता तथा मानदेय कर्मियों को मानदेय का नियमित भुगतान।

d पीओएल हेतु फण्ड उपलब्धता, जिला/ब्लॉक स्तर पर आकस्मिकता तथा संशोधित दरों के अनुरूप आंगनबाडी केन्द्रों पर फ्लेक्सी फण्ड की उपलब्धता।

e संशोधित मानकों के अनुरूप आंगनबाडी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की आपूर्ति में व्यवधान तथा उसके कारण जैसे–डिलीवरी का प्रकार, एसएचजी की व्यस्तता आदि।

f पूरक खाद्य के फोर्टिफिकेशन की व्यवस्था तथा आंगनबाडी केन्द्रों पर आयोडिन नमक का उपयोग।

g आंगनबाडी केन्द्रों पर बच्चों द्वारा अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा में भागीदारी तथा प्रक्रिया।

h आंगनबाडी केन्द्रों पर आवश्यक सामग्री की आपूर्ति तथा उपलब्धता–मेडिसिन किट, प्री–स्कूल किट, वजन मशीन, संयुक्त मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, डब्ल्यूएचओ ग्रोथचार्ट आदि।

i तय मानकों के अनुरूप विविध स्तरों के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा निगरानी तथा पर्यवेक्षण भ्रमण।

j समेकित बाल विकास सेवाएं कर्मियों का गैर समेकित बाल विकास सेवाएं गतिविधियों में नियोजन तथा उनका ऐसे नियोजन से रोकने/मुक्त कराने की व्यवस्था करना।

k अन्य कोई मुद्दा जो लागु करने हेतु महत्वपूर्ण हो।

(v) आंगनबाडी आधारभुत ढांचे में सुधारः आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु विविध योजनाओं जैसे नरेगा BRGF, MSDP, MPLAD, MLALAD आदि में उपलब्ध धनराशि का उपयोग।

(vi) समेकित बाल विकास सेवाओं/स्वास्थ्य तथा पोषण मुद्दों पर आइईसी द्वारा जागरूकता निर्माण तथा अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों की आइईसी गतिविधियों के साथ अभिसरण की संभावना।

II समेकित बाल विकास सेवाऐं हेतु जिला स्तरीय निगरानी तथा समीक्षा समितिः–

(DLMRC on ICDS)

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास सेवाऐं हेतु जिला स्तरीय निगरानी तथा समीक्षा समिति का गठन किया जाता है जिसमें निम्न सदस्य होगें :–

1.	सांसद (संबंधित जिले के)	सदस्य
2.	विधायकगण (संबंधित जिले के)	सदस्यगण
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्	उपाध्यक्ष
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5.	मुख्य आयोजना अधिकारी	सदस्य
6.	जिला कृषि/उद्यानिकी अधिकारी	सदस्य
7.	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
8.	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
9.	प्राचार्य, मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (M.L.T.C.)*	सदस्य

10.	प्राचार्य, आंगनबाडी प्रशिक्षण केन्द्र (दो)*	सदस्यगण
11.	खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड की फिल्ड इकाई	सदस्य
12.	बाल विकास परियोजना अधिकारी (तीन)*	सदस्यगण
13.	उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ	सदस्य सचिव

* उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ प्रति वर्ष रोटेशनल आधार पर मनोनयन करेंगे।

नोटः—समिति की बैठक तीन माह में न्यूनतम एक बार होगी अथवा अध्यक्ष के नोटिस द्वारा जब भी इन्हें आवश्यकता लगे तथा यह अपना समीक्षा प्रतिवेदन प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत करेगी जिसमें जिला स्तर पर उठाये कदम तथा राज्य स्तर से वांछित सहयोग स्पष्टतः रेखांकित होगें।

समिति की भूमिकाः—

समेकित बाल विकास सेवाऐं हेतु जिला स्तरीय निगरानी तथा समीक्षा समिति ब्लॉक/परियोजनावार कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी व समीक्षा करेगी तथा निम्न बिन्दुओं के संबंध में सुझाव देगी व सुधारात्मक उपाय करेगी।

(i) कियान्विति के मामले में प्रगति की समीक्षाः—

a **क्रियान्वयन के संबंध में समग्र प्रगतिः** सभी स्वीकृत परियोजनाओं/आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की स्थिति—जिले के सभी आबादी क्षेत्र/कच्ची बस्तियों को शामिल करना (विशेषकर) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को।

b **लाभार्थियों का कवरेजः—** आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा तथा पूरक पोषाहार के पंजीकृत और वास्तविक लाभार्थियों का परियोजनावार सर्वे का जनसंख्या के विरूद्व विश्लेषण करना।

c **आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की गुणवत्ता और आपूर्ति की नियमितता—** घर के लिए दिये जाने वाले पोषाहार का प्रावधान और एक माह में निश्चित दिनों के लिए दिये जाने वाला गर्म खाना, सुबह का नाश्ता तथा खाद्य कुशलता की परियोजनावार तुलना।

d **0—3 वर्ष तथा 3—6 वर्ष के बच्चों में पोषण स्तर की स्थिति**— विश्व स्वास्थ्य संगठन वृद्वि प्रमाप के आधार पर वजन लेने, सयुक्त मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, मध्यम और अति अल्प पोषित बच्चों के अनुपात की परियोजनावार तुलना, इस हेतु उपाय तथा अर्द्ववार्षिक आधार पर प्रगति।

e आंगनबाडी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा की स्थिति।

(ii) **लाईन विभागों/कार्यक्रमों के साथ सहयोगः—**

a **स्वास्थ्य/एनआरएचएमः** आंगनबाडी केन्द्रों पर पूर्ण टीकाकरण की स्थिति, प्रसव पूर्व जांच तथा स्वास्थ्य जांच का प्रावधान, केन्द्र पर रैफरल सेवाएं तथा सूक्ष्म पोषण तत्वों की आपूर्ति (विटामिन A, IFA, डिवार्मिंग टैबलेट), MCHN दिवस की गतिविधियां, ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति तथा शिशु एवं बच्चों की आहार पूर्ति (Infant & Yound Child Feeding IYCF) का प्रोत्साहन, स्वास्थ्य तथा समेकित बाल विकास सेवाएं कार्मिकों का संयुक्त भ्रमण।

b **जल तथा स्वच्छताः** केन्द्रों पर पेयजल की उपलब्धता तथा शौचालय सुविधा।

c **सर्व शिक्षा अभियान (SSA)**: प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनबाडी केन्द्र की सह स्थिति, स्कूल पूर्व शिक्षा का केन्द्रों पर एकीकरण; SSA से सहयोग आदि;

d **पंचायतीराज संस्थान;** पंचायतीराज संस्थानों तथा समुदाय की निगरानी में भागीदारी तथा केन्द्रों पर सेवा प्रदान करने में समन्वय।

(iii) कार्यक्रम लागू करने हेतु अन्य मुद्दे तथा उन पर उठाये गये कदम निम्न सन्दर्भ में

a केन्द्रों का नियमित संचालनः– समग्र रूप से तथा विशेष तौर पर अनु. जाति/अनु. जनजाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य आबादी क्षेत्रों में

b कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी स्तर पर पद रिक्तता की स्थिति तथा प्रशिक्षण स्थिति।

c फण्ड उपलब्धता तथा मानदेय कर्मियों को मानदेय तथा पर्यवेक्षकों को यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान ।

d ब्लॉक स्तर पर आकस्मिकता तथा संशोधित दरों के अनुरूप आंगनबाडी केन्द्रों पर फ्लेक्सी फण्ड की उपलब्धता।

e संशोधित मानकों के अनुरूप आंगनबाडी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की आपूर्ति में व्यवधान तथा उसके कारण जैसे–डिलीवरी का प्रकार, एसएचजी की व्यस्तता आदि।

f पूरक खाद्य के फोर्टिफिकेशन की व्यवस्था तथा आंगनबाडी केन्द्रों पर आयोडिन नमक का उपयोग।

g आंगनबाडी केन्द्रों पर बच्चों द्वारा अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा में भागीदारी तथा प्रक्रिया।

h आंगनबाडी केन्द्रों पर आवश्यक सामग्री की आपूर्ति तथा उपलब्धता – मेडिसिन किट, प्री–स्कूल किट, वजन मशीन, संयुक्त एमसीपी कार्ड, डब्ल्यूएचओ ग्रोथचार्ट आदि।

i तय मानकों के अनुरूप विविध स्तरों के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा निगरानी तथा पर्यवेक्षण भ्रमण।

j समेकित बाल विकास सेवाएं कर्मियों का गैर समेकित बाल विकास सेवाएं गतिविधियों में नियोजन तथा उनका ऐसे नियोजन से रोकने/मुक्त कराने की व्यवस्था करना।

k बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक को वाहन की उपलब्धता तथा कार्यक्रम से संबंधित वाहनों की अनुपलब्धता।

l अन्य कोई मुद्दा जो लागु करने हेतु महत्वपूर्ण हो।

m आई.सी.डी.एस क्रियान्वयन में कमजोर निष्पादन वाली परियोजनाओं को चिन्हित करना और इसके लिये जिम्मेदार कारणों का चिन्हिकरण करना।

n कोई भी अन्य मामला जो क्रियान्वयन में सुधार से संबंधित है।

iv **वित्तीय मामलें–** कोष प्रवाह तथा मदवार आवंटन की स्थिति और प्रतिवेदित अवधि के दौरान व्यय और भारत सरकार द्वारा निर्धारित संशोधित मापदण्डों की पालना।

v **शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था–** व्यक्ति, समुदाय, पंचायतीराज प्रतिनिधि आदि के द्वारा प्रस्तुत शिकायतों जैसे– कार्यक्रमों की नियमितता, पूरक पोषाहार की गुणवत्ता तथा आईसीडीएस कार्मिकों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही।

vi **आई.ई.सी.–** आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्थान, समेकित बाल विकास अन्तर्गत सेवाओं की उपलब्धता,लाभार्थियों की पात्रता,शिकायतों के निवारण की विधि से संबंधित मामलों पर आईईसी की कार्य योजना बनाना और अपनाना।

नोटः– समीक्षा बैठक में निम्न सूचनाओं/स्त्रोतों का उपयोग किया जा सकता है।

a. ब्लॉक स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण व प्रतिवेदन
b. ब्लॉक मासिक प्रगति प्रतिवेदन/वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन का विश्लेषण
c. समिति सदस्यों द्वारा आंगनबाडी भ्रमण रिपोर्ट
d. जनता/मीडिया से प्राप्त प्रतिवेदन/सूचना

III समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति (BLMC on ICDS)

उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाता है जिसमें निम्न सदस्य होगें :–

i.	पंचायत समिति प्रतिनिधि/पार्षद	सदस्य
ii.	खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.)	उपाध्यक्ष
iii.	खण्ड स्तरीय चिकित्सा प्रतिनिधि (बी.एम.ओ./चि.अ.)	सदस्य
iv.	खण्ड स्तरीय शिक्षा प्रतिनिधि (बी.ई.ओ.)	सदस्य

v.	खण्ड कृषि प्रसार अधिकारी	सदस्य
vi.	प्राचार्य, आंगनबाडी प्रशिक्षण केन्द्र (AWTC)*	सदस्य
vii.	खण्ड स्तरीय स्थानीय स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधि (दो)	सदस्यगण
viii.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	समन्वयक

* यदि कोई हो तो

नोटः–

- स्थानीय स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधि का मनोनयन बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- समिति की बैठक त्रैमासिक होगी तथा यह समिति बैठक की रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति को भिजवाते हुये उसकी प्रति निदेशालय को प्रेषित करेगी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का गहन गृह सम्पर्क के दौरान–ब्लॉक स्तरीय समिति निम्न बिन्दुओं को मॉनिटर व समीक्षा करेगी तथा सुझाव व सुधारात्मक उपाय करेगी।
- 2–3 पर्यवेक्षकों को बैठकों में रोटेशन आधार पर समन्वयक द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।

<u>समिति की भूमिकाः–</u>

समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति निम्न मुद्दों की निगरानी और समीक्षा करेगी तथा आवश्यक कार्यवाही की अनुशंषा करेगी।

i **निम्न मामलों में प्रगति की समीक्षा :–**

a. ब्लॉक के सभी आबादी क्षेत्रों/कच्ची बस्तीयो को कवरेज में शामिल करना विशेषकर अनु.जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों।

b लाभार्थियों का समावेश– आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा तथा पूरक पोषाहार के पंजीकृत और वास्तविक लाभार्थियों का सेक्टरवार सर्वे की जनसंख्या के विरूद्व विश्लेषण करना।

c पूरक पोषाहार की गुणवत्ता।

d 0–3 तथा 3–6 वर्ष के बच्चों में पोषाहार की स्थिति– वजन लेने, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वृद्वि प्रमाप के आधार पर वजन लेना, संयुक्त मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, मध्यम और अतिकुपोषित बच्चों के अनुपात की सैक्टरवार तुलना, पता लगाने तथा अर्द्ववार्षिक आधार पर प्रगति के उपाय करना।

e रिर्पोटिंग माह में घर के लिए दिये जाने वाले पूरक पोषाहार, सुबह का नाश्ता व गर्म पोषाहार का 21 दिनों से ज्यादा वितरित करने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या की समीक्षा करना।

f MCHN दिवस प्रतिमाह आयोजित कर सेवाएं प्रदान करने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्यां तथा उस दिवस में आयोजित गतिविधियां।

ii <u>सम्बद्ध विभागों/कार्यक्रमों के साथ समन्वय तथा सहयोग–</u>

- <u>राष्ट्रीय ग्रामीण व स्वास्थ्य मिशन/स्वास्थ्यः–</u> बच्चों का समयबद्ध टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन, आंगनबाड़ी केन्द्रों की संदर्भ सेवाएं तथा प्रसव पूर्व देखभाल तथा स्वास्थ्य जांच,आंगनबाड़ी केन्द्रों की सन्दर्भ सेवाएं तथा सुक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति (विटामिन ए, आई.एफ.ए. डिवार्मिग टेबलेट), ग्रामीण स्वास्थ्य दिवस की कार्यवाही तथा शिशु एवं बच्चों की आहार पूर्ति (Infant & Yound Child Feeding IYCF) का प्रचार; एएनएम द्वारा आंगनबाडी केन्द्र का योजनाबद्ध भ्रमण।
- <u>जल तथा स्वच्छताः–</u> आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शुद्व पेयजल तथा शौचालय सुविधएं।
- <u>पंचायतीराज संस्थानः–</u> पंचायतीराज संस्थानों तथा जन समुदाय की भागीदारी द्वारा आंगनबाडी केन्द्र पर सेवा प्रदान करने की निगरानी तथा समन्वय।

iii **कार्यक्रम से संबंधित अन्य गतिविधि–**

a. सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यक्रम के संचालन की नियमितता (विशेष रूप से अनु. जाति/ अनु.जनजाति/ अल्पसंख्यक केन्द्रित निवासित क्षेत्र में)
b. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सुपरवाईजर/बाल विकास परियोजना अधिकारी, स्तर की रिक्तियों और कार्मिकों के प्रशिक्षण की स्थिति।
c. मानदेय कर्मियों के मानदेय और पर्यवेक्षकों को यात्रा भत्ता के भुगतान की स्थिति।
d. आंगनबाड़ी केन्द्र आधारभूत संरचनाः– अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के सहयोग से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण।
e. आंगनबाड़ी केन्द्रों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति– दवाइयॉ, शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा किट, वजन मशीन, संयुक्त मातृ–शिशु सुरक्षा कार्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन वृद्वि चार्ट आदि।
f. POL (पेट्रोल, तेल, लुब्रिकेन्ट), आकस्मिकता आदि के लिए संशोधित मानदण्डों के अनुसार खण्ड स्तर पर कोष की उपलब्धता, संशोधित मापदण्ड के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र पर फलेक्सी फंड की उपलब्धता।
g. गर्भवती, धात्री महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा स्वास्थ्य तथा पोषण मुद्दों पर गृह संपर्क।

h. सेक्टर स्तर पर समीक्षा बैठक, मासिक प्रगति प्रतिवेदन का विश्लेषण, मापदण्डों के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों का बाल विकास परियोजना अधिकारियों/पर्यवेक्षक की यात्रा का प्रबोधन और प्रतिवेदन प्रसतुत करना।

i. ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस VHND में एएनएम व जनप्रतिनिधियों की भागीदारी।

j. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार वितरण की व्यवस्था– स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी व हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग और आंगनबाड़ी केन्द्र पर आयोडाईज्ड नमक का प्रयोग और समूहों का नियोजन।

k. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों की सहभागिता और प्रयोग की गई विधियां। स्थानीय स्तर पर विकसित किये गये, खिलौने व सामग्री का प्रयोग, खिलौना बैक तथा अन्य नवाचार।

l. समेकित बाल विकास सेवाएं कर्मियों का गैर समेकित बाल विकास सेवाएं गतिविधियों में नियोजन तथा उनका ऐसे नियोजन से रोकने/मुक्त कराने की व्यवस्था करना।

m. आई.सी.डी.एस. क्रियान्वयन में कमजोर निष्पादन वाले केन्द्रों/सेक्टरों को चिन्हित करना और इसके लिए जिम्मेदार कारणों का चिन्हिकरण करना।

n. कोई अन्य मामला जो क्रियान्वयन में सुधार से संबंधित हो।

iv शिकायतों के निस्तारण का तरीका– व्यक्ति, समुदाय PRI's आदि से आई.सी.डी.एस. सेवाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों जैसे आंगनबाड़ी केन्द्र के कार्यक्रमों की नियमितता, पूरक पोषाहार की गुणवत्ता तथा आई.सी.डी.एस. कार्मिकों से संबंधित पर कार्यवाही करना।

<u>नोटः– समीक्षा बैठक में निम्न सूचनाओं/स्त्रोतों का उपयोग किया जा सकता है।</u>

e. आंगनबाडी स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण व प्रतिवेदन
f. आंगनबाडी मासिक प्रगति प्रतिवेदन/वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन का विश्लेषण
g. समिति सदस्यों द्वारा आंगनबाडी भ्रमण रिपोर्ट
h. जनता/मीडिया से प्राप्त प्रतिवेदन/सूचना।

IV समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु आंगनबाडी स्तरीय निगरानी व सहायता समिति

(ALMSC on ICDS)

i.	वार्ड पंच/पार्षद (महिला सदस्य को प्राथमिकता)	अध्यक्ष
ii.	महिला मण्डल (दो सदस्य रोटेशन से)*	सदस्य
iii.	आशा सहयोगिनी	सदस्य
iv.	समुदाय आधारित संगठन के प्रतिनिधि (2)*	सदस्यगण
v.	समुदाय (अध्यापकसेवानिवृत राजकीय कर्मचारी/बच्चों के अभिभावक जिनके बच्चे आंगनबाडी केन्द्र में आते है (3 प्रतिनिधि)*	सदस्यगण
vi	सबला कार्यक्रम के अन्तर्गत सखी (यदि कोई हो)	सदस्य

vii आंगनबाडी कार्यकर्ता समन्वयक

*इनका मनोनयन आईसीडीएस सुपरवाईजर द्वारा किया जायेगा।

नोटः–

- पर्यवेक्षक, ए.एन.एम., एल.एच.वी को आवश्यकता अनुसार बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है।
- समिति गांव के आंगनबाड़ी क्षेत्र/वार्ड के विभिन्न मुद्दों पर नियमित मासिक बैठक आयोजित करेगी तथा कार्यवाही विवरण बनाकर उसकी एक प्रति ब्लॉक स्तर की कमेटी को एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को भिजवायेगी।

समिति की भूमिकाः–

आंगनबाड़ी स्तरीय कमेटी को आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता हैः–

i. यह जांच करना कि आंगनबाड़ी केन्द्र नियमित रूप से कार्य करें।
ii. सर्वे की गई जनसंख्या के विरूद्व पात्र लाभार्थियों का कवरेज सुनिश्चित करना;
iii. लाभार्थियों को कम से कम 21 दिन पूरक पोषाहार मिले।
iv. 0–3 वर्ष, 3–6 वर्ष के बच्चों के पोषण स्तर की समीक्षा, वजन लेना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए ग्रोथ चार्ट की आवश्यकता एवं संयुक्त मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड की उपलब्धता, मध्यम व अति उत्तम पोषित बच्चों की संख्या व किये गये उपाय।
v. अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा कार्य की समीक्षा–दैनिक गतिविधि, स्थानीय आधार पर सीखना/विकास, खेल सामग्री, अभिभावकों की बैठक आयोजित करना आदि।
vi. ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य समितियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से भाग लेना।
vii. मासिक ग्रामीण स्वास्थ्य पोषाहार दिवस पर कम से कम कमेटी का एक सदस्य (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा,ए.एन.एम. के अतिरिक्त) अवश्य भाग लें तथा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक माह ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषाहार दिवस अच्छी तरह आयेजित किया जाए और उसमें अधिक से अधिक लोग उपस्थित हो। इस दिवस पर सभी बाकी सेवाएं उपलब्ध हो।
viii. निर्धारित मापदण्ड अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा (सुविधाएं यथा साफ पेयजल, चालू शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था, खेलने की जगह, शाला पूर्व शिक्षा एवं मेडिकल किट, खाना बनाने के

बर्तन)/(कमेटी लोकल आधार पर स्थानीय जनसमुदाय या अन्य योजना से भी व्यवस्था करा सकती है)।

ix. कमेटी यह समीक्षा करें कि दैनिक उपयोगी सामग्री, पोषाहार, दवाईयॉ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। कमी का कारण तलाशे और स्टॉक की अनियमितता का पता लगाये। किसी प्रकार की अनियमितता व कमी पाये जाने पर ब्लॉक स्तरीय कमेटी और बाल विकास परियोजना अधिकारी को रिपोर्ट करें।

x. आंगनबाडी केन्द्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित किसी भी विवाद को कमेटी स्तर पर हल करें। अनसुलझे विवादों को ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तरीय मोनेटरिंग कमेटी को रैफर करे।

xi. आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा उपलबध कराई जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सुपरवाईजर से बात करें एवं सेवाओं में कमी का कारण पता लगावें तथा स्थानीय आधार पर इसका हल करें, विवाद की स्थिति में ब्लॉक स्तरीय मोनेटरिंग कमेटी को रिपोर्ट करें और इसकी प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और ग्राम पंचायत तथा संबंधित को भी दे।

xii. सेवा प्रदाय व्यवस्था को अधिक उन्नत बनाने के लिये यदि कोई सुझाव हो अग्रेषित करें।

इन समितियों का प्रशासनिक विभाग "निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, महिला एवं बाल विकास विभाग" होगा।

आज्ञा से

(रजनी सी. सिंह)
शासन उप सचिव
जयपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 6(34)प्र.सु./अनु 3/2013

प्रतिलिपि :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्री ....., सांसद, माननीय सदस्य, समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति (SLMRC on ICDS)
4. श्री ..... , विधायक , माननीय सदस्य, समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति (SLMRC on ICDS)
5. सचिव (बाल विकास), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. विशेषाधिकारी, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।

7. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, राज. जयपुर।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं भू–जल एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, राज. जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज. जयपुर।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सदस्य सचिव समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति (SLMRC on ICDS) राज. जयपुर।
22. राज्य मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज. सरकार जयपुर।
23. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान ।
24. श्री ..... , सदस्य, समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति (SLMRC on ICDS)
25. क्षेत्रीय निदेशक, एनआईपीसीसीडी (NIPCCD)
26. राष्ट्रीय राज्य खाद्य एवं पोषण बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
27. समस्त जिला कलेक्टर।
28. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
29. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
30. समस्त उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं।
31. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं राज. जयपुर को आदेश कर अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।

अनुभागाधिकारी

C:\Users\admin\Documents\5 tier\5 Tier 02.09.13.docx